UGC 45080

ISSN 2321 5054

पर्यटन के विविध आयाम

Special Volume of Seminar Proceedings

History Times

UGC Approved & Peer Reviewed Research Journal of History & Archaeology

Editors

Prof. Hansa Vyas

Prof. Naveen Gideon

Publisher : Bundelkhand Itihas Parishad Evam Shodh Sansthan, Sagar (M.P.)

UGC 45080 ISSN 2321 5054

छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास के प्रयास

डॉ. सीमा पान्डेय
अध्यक्ष - इतिहास विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.)

सर्व विदित है कि किसी भी प्रदेश में जितने अधिक सुंदर एवं आकर्षक, प्राकृतिक रमणीक तथा ऐतिहासिक स्थल होंगे वहां पर्यटन के विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। छत्तीसगढ़ की भूमि पर भी प्राकृतिक सहज सुषमा बिखेरती हुई, समशीतोष्ण जलवायु जैसे स्वास्थ्यप्रद वातावरण का पोषण करती है। यहां प्राकृतिक संसाधनों की अक्षय निधि खनिज व विस्तृत वनपरिक्षेत्र के रूप में संरक्षित है।

पर्यटन संवर्धन के लिए आवश्यक दशायें

किसी भी राज्य में पर्यटन संवर्धन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है-

1. पर्यटन क्षेत्र की स्थिति एवं उस प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों का होना।
2. पर्यटन क्षेत्र में यातायात व भ्रमण की सुविधाएँ।
3. पर्यटकों के अनुकूल वातावरण।
4. पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन की इन परिस्थितियों की उपलब्धता है। यदि राज्य स्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढाँचे मे सुधार कर लिया जाए तो यहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति, रीति-रिवाज, मेले, त्यौहार, वेश-भूषाएँ, भाषा-नदियाँ धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, औद्योगिक केन्द्र एवं विभिन्न प्रजाति के वन्य प्राणी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन एक नवगठित राज्य होने का पूर्ण लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आर्थिक विकास की नई प्रणाली अपनाते हुए राज्य शासन ने नई पर्यटन नीति, अन्य भारतीय राज्यों एवं आसपास के विभिन्न देशों की उत्कृष्ट रीतियों के विस्तृत विश्लेषण पर विकसित की है। भारत के मध्य स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पौराणिक, धार्मिक, प्राकृतिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बहुकोणीय पर्यटन स्थलों से सम्पन्न है। यहाँ मानव इतिहास के 10 हजार वर्षों की झांकी पाई गई है। विश्व की प्राचीनतम रंगशाला, रामगढ़ गुफाएँ, छत्तीसगढ़ के नियाग्रा के नाम से विख्यात चित्रकोट (बस्तर) जलप्रताप, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों से निर्मित कुटुमसर की गुफायें, सदाबहार जंगलों और विलक्षण जैव विविधता, बस्तर और सरगुजा के विशाल आदिवासी अंचल, विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, बारहमासी जलप्रताप, दुर्लभ वन्य जातियों का यहाँ बाहुल्य है।

पर्यटन का संबंध उद्योग वाणिज्य एवं परिवहन इत्यादि के साथ अत्यंत करीब का है। शासन द्वारा इन अंतरसंबंधों का उपयोग बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सद्भाव विकसित करने में किया जा

UGC 45080 ISSN 2321 5054

सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य एक अद्वितीय छवि बनाना चाहता है। छत्तीसगढ़ राज्य की पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. राज्य में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयोगी पर्यटन को प्रोत्साहन देना।
2. छत्तीसगढ़ में पर्यटन अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षण को सुदृढ़ करना।
3. राज्य की समृद्ध एवं विविध रूपों वाली सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार करना।
4. आर्थिक विकास एवं संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना।
5. पर्यटन संबंधित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना।
6. पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएँ जैसे टाइम शेयर, इको पर्यटन, ग्राम पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देना।
7. स्थानीय समुदाय की बौद्धिक संपदा एवं अधिकारों को सम्मान देना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा कुछ विशिष्ट प्रयास रेखांकित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

इस नीति का क्रियान्वयन करते समय राज्य केवल उन प्रयत्नों को प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र का संवहनीय विकास होता हो एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी एवं राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

- राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की वास्तविक क्षमता के सदुपयोग हेतु वृहद स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुधार व प्रदेश में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए राज्य शासन विशेष पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास एवं शासकीय तथा निजी क्षेत्रों के बीच निर्माणात्मक सहभागिता सुनिश्चित करेगी।
- पर्यटन एवं पूंजी निवेश की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को, दूसरे राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के साथ "टूरिस्ट सर्किट" विकसित करना चाहें ताकि उन राज्यों से होकर सैलानी हमारे प्रदेश में भी पहुँचें।
- विशेषज्ञों की सहायता से पर्यटन विकास का दूरदर्शी मास्टर प्लान तैयार कर, पर्यटन क्षमता, स्थानीय आकांक्षाओं एवं संभावित आर्थिक लाभ का मूल्यांकन कर, पर्यटन क्षेत्रों के एकीकृत गहन विकास पर जोर दिया जाएगा।
- योजनाबद्ध ढंग से प्रमुख स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा का विकास एवं सौंदर्यीकरण पर बल दिया जाएगा।
- प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य एवं वनौषधि जैसे उत्पादों के विक्रय हेतु उपहार केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित श्रेणी के होटल होंगे। इन होटलों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 2% निर्मित क्षेत्र राज्य पर्यटन विकास मंडल को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराए।
- टूरिस्ट सर्किट तभी सफल होगा, जब टूरिस्ट एजेंसियों को छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए "पैकेज टूर" तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए बड़े राज्यों की राजधानियों में सूचना केन्द्र भी खोले जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त अपनी आभा खो रहे विरासती छत्तीसगढ़ में, राजमहलों को "हेरीटेज इंडिया योजना" में शामिल करते हुए राज्य के बड़े शहरों में होटल उद्योग को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन सबसे जरूरी है पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़कों का विस्तार करते हुए उसकी चमक बढ़ाई जाए।

- प्रदेश शासन राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप का अनुकरण करते हुए पर्यटन विकास हेतु "विशेष पर्यटन कोष" की स्थापना पर विचार करेगा, जो सूक्ष्म अधोसंरचना परियोजनाओं एवं पर्यटन परियोजनाओं हेतु राशि की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा। इससे राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के बीच सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन

निजी क्षेत्र को पर्यटन उद्योग में निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु राज्य शासन, शासकीय भूमि विक्रय, पट्टे अथवा संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं हेतु शासकीय अंशदान के रूप में उपलब्ध करायेगा। पर्यटन स्थलों की क्षमता दर्शाने हेतु प्रारंभिक तौर पर नाभकीय अधोसंरचना के निर्माण के उद्देश्य से राज्य शासन विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय का 15% निवेश अनुदान उपलब्ध कराएगा, जो 20 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा। राज्य शासन अधोसंरचना, विकास/वृहद परियोजनाओं को उद्योगों के समतुल्य सहायता का सुविधा एवं बिजली दरों में रियायत उपलब्ध कराएगा। पर्यटन क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं के संदर्भ में करों का युक्तिकरण करना। राज्य शासन विशेष पर्यटन क्षेत्रों में एक निश्चित राशि से ऊपर की निवेश वाली परियोजनाओं को विलासिता एवं मनोरंजन कर से छूट देने पर विचार करेगा।

पर्यटन की समृद्ध संभावना के क्षेत्र

राज्य स्थानीय सहभागिता के आधार पर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का चयन कर उनके उचित विकास के लिए सक्रिय कार्य करेगा। वन्य प्राणी क्षेत्र, कैपिंग स्थल, ट्रेकिंग सुविधा जैसे प्राथमिक आकर्षण केन्द्रों का विकास किया जाएगा।

पारिस्थितिकी पर्यटन

राज्य में विकास को बढ़ावा देने हेतु औषधि पौधों की बहुलता का लाभ उठाकर हर्बल उद्यानों का विकास तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए योग, आयुर्वेद-रिसॉर्ट आदि के विकास पर बल दिया जा सकता है।

सांस्कृतिक धरोहर एवं ग्रामीण पर्यटन

राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि पुरातात्विक धरोहरों का यथोचित एवं व्यवसायिक ढंग से रख-रखाव एवं प्रबंधन हो। भोरमदेव, राजिम, सिरपुर, ताला, मल्हार एवं शिवरीनारायण को प्रमुख रूप से विरासत धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के सांस्कृतिक विकास हेतु समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक मेले एवं उत्सवों का आयोजन किया जायेगा। रायपुर में ग्रामीण कला के विकास हेतु एक "रायपुर हाट" नामक शहरी बाजार स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण कलाकारों व शिल्पकारों की कला के पुनर्जीवन एवं विकास हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। स्थानीय त्यौहार जैसे बस्तर का दशहरा, नारायणपुर की मड़ई, भोरमदेव उत्सव, रावतनाचा उत्सव, चक्रधर समारोह आदि को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

साहसिक पर्यटन

इस हेतु ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, नौकायन, वॉटर, राटिंग, बंगी जंपिंग आदि का विकास किया जा सकता है।

तीर्थ पर्यटन

इसके विकास के लिए तीर्थ स्थलों में धर्मशाला आदि का विकास किया जाएगा। राजिम, चंपारण्य, डोंगरगढ़, शिवरीनारायण, गिरौदपुरी, दंतेवाड़ा, रतनपुर, सिरपुर को राष्ट्रीय तीर्थ पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

आवास एवं मनोरंजन पर्यटन

राज्य में आवास एवं मनोरंजन पर्यटन विकास के लिए आवास एवं मनोरंजन केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जायेगा, जो पर्यटकों की आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति करेगा। इसके अलावा पर्यटन का विकास [illegible] में स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेन्टरों, मनोरंजन हेतु थीम पार्क आदि की स्थापना को प्रोत्साहित कर [illegible] दिया जाएगा। उच्च वर्ग [illegible] वाले पर्यटकों की आवश्यकतानुसार सुविधाएँ [illegible], मल्टीप्लेक्स थियेटर, [illegible], शॉपिंग सेंटर, गोल्फ कोर्स आदि की स्थापना की जायेगी।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यटन [illegible] के जरिए पर्यटन को एक [illegible] बनाया जा सकता है। [illegible] बताते हैं कि भारत की धरती पर एक विदेशी पर्यटक जब कदम रखता है और [illegible] जाता है, तब तक [illegible] दो दर्जन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा जाता है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक [illegible] समृद्ध है, इसलिए ऐसा कोई आयोजन हो जिससे देश-विदेश में पर्यटन के [illegible] [illegible] सकें। [illegible] का राउत नाच महोत्सव, जगदलपुर में दशहरा पर्व और [illegible] देश-विदेश के [illegible] का केन्द्र बन सकते हैं। धार्मिक, [illegible] लोक संस्कृति तथा जन आस्था के साथ पर्यटकों से [illegible] की संभावनाएँ [illegible] हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पर्यटन का अर्थ एक [illegible] तक सिमटा हुआ है। "[illegible]" के कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्मारकों के आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है।

एशिया के एक छोटे से देश इंडोनेशिया में रायगढ़ या दूसरे [illegible] जितना बड़ा है, "बाली" किन्तु पर्यटन के दृष्टिकोण से उसे ऐसा विकसित किया गया और अब वहीं प्रतिवर्ष 60 से 65 लाख विदेशी सैलानी पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रकृति और पूर्वजों ने इतना समृद्ध किया है कि दूसरे कई प्रदेश तुलनात्मक रूप से [illegible] हैं।

पर्यटन की संभावनाएँ, तब बहुआयामी [illegible] लिए हों, तब इन संभावनाओं के [illegible] में पर्यटन विभाग के अलावा अन्य विभागों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, ताकि देश-विदेशों के सैलानी छत्तीसगढ़ की तरफ आकर्षित हों।

सन्दर्भ

1. गुप्ता, मदनलाल : छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन भाग 1, भारतेन्दु हिन्दी साहित्य समिति, बिलासपुर 1996.
2. शुक्ला डॉ. सुरेशचंद्र, शुक्ला डॉ. श्रीमती अर्चना : छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास [illegible] प्रकाशन, रायपुर, 2003
3. माहेश्वरी रामगोपाल (संपादक) : शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ, नागपुर, म.प्र., हिन्दी साहित्य सम्मेलन 1955
4. मिश्र डी.पी. : मध्यप्रदेश स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, म.प्र.2002
5. बिलासपुर जिला गजेटियर : 1982
6. रायपुर जिला गजेटियर : 1973
7. हर्डीकर पं. गोविंद राव : पं.माधवराव सप्रे, म.प्र.हिन्दी साहित्यकार सम्मेलन जबलपुर 1951
8. शुक्ल डॉ. अशोक : छत्तीसगढ़ का राजनैतिक, इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, [illegible] प्रकाशन, सदर बाजार, रायपुर, म.प्र. 1984